राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2009

सं एल/28/09–नालसा. –केन्द्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा– 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं–इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है;

(ख) 'लोक अदालत' से अधिनियम की धारा– 19 के अधीन आयोजित की जाने वाली लोक अदालत अभिप्रेत है;

(ग) सभी अन्य शब्दों और पदो के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणय नियम, 1995 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम या नियमों में है ।

3. लोक अदालतें आयोजित करने की प्रक्रिया–(1) लोक अदालतें, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरणों या जिला प्राधिकरणों या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समितियों द्वारा नियमित अंतरालों पर आयोजित की जा सकेंगी और ऐसी लोक अदालतें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए, जो पूर्वोक्त प्राधिकरण या समितियां ठीक समझें, आयोजित की जाएंगी :

परंतु विशेष लोक अदालतें सभी कुटुम्ब न्यायालयों के लिए नियमित अंतरालों पर आयाजित की जाएंगी ।

(2) यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य–सचिव या सचिव या जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष विधिक वृत्ति के सदस्यों, महाविद्यालय के विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, पूर्व और परोपकारी संस्थाओं और अन्य वैसे ही संगठनों को लोक अदालतें आयोजित करने के लिए सहयोजित कर सकेगा ।

4. राज्य प्राधिकरण को सूचना–यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण को लोक अदालत आयोजित करने के प्रस्ताव के बारे में उस तारीख से बहुत पूर्व, जिसको लोक अदालत आयोजित करने का प्रस्ताव है, सूचित करेगा और राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :––

(i) वह स्थान और तारीख, जिसको लोक अदालत आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ii) क्या ऊपर विनियम 3 के उपविनियम (2) में यथा निर्दिष्ट संगठनों में से किसी ने लोक अदालत के साथ स्वयं को सहयोजित करने के लिए अपनी सहमति दी है ;

(iii) मामलों के प्रवर्ग और प्रकृति जैसे लंबित मामले या मुकद्मा–पूर्व विवाद, जिनका लोक अदालत के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव है;

(iv) प्रत्येक प्रवर्ग में लोक अदालत के समक्ष लाए जाने वाले प्रस्तावित मामलों की संख्या ;

(v) कोई अन्य सूचना, जो लोक अदालत के संयोजन और आयोजन से सुसंगत हो ।

5. संबद्ध पक्षकारों को सूचना–लोक अदालतों का संयोजन और आयोजन करने वाले यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, उस संबद्ध प्रत्येक पक्षकार को जिसका मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है, समय पूर्व सूचित करेगा जिससे उसे लोक अदालत के समक्ष स्वयं को तैयार करने के लिए अवसर दिया जा सके :

परंतु ऐसी सूचना से अभिमुक्ति दी जाएगी यदि न्यायालय ने मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करते समय पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में लोक अदालत की तारीख और समय नियत किया है या उसकी सूचना दी है :

परंतु यह और कि यदि कोई पक्षकार लोक अदालत को अपना मामला निर्दिष्ट करने के लिए इच्छुक नहीं है तो संबद्ध न्यायालय द्वारा उस मामले पर उसके गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा ।

6. लोक अदालत की संरचना–

(क) राज्य प्राधिकरण स्तर पर–लोक अदालत आयोजित करने वाला सदस्य–सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठें गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे :

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य ;और
(ii) ऐसे ख्यातिप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जो व्यक्तियों के कमजोर वर्गों, जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्री, बालक, ग्रामीण और शहरी श्रमिक भी हैं, के उत्थान में लगे हैं और जिनकी विधिक सेवा स्कीमों या कार्यक्रमों की क्रियान्वयन में रूचि है ।

(ख) उच्च न्यायालय स्तर पर–लोक अदालत आयोजित करने वाला उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे :

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य ;और
(ii) ऊपर उपपैरा (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता ।

(ग) जिला स्तर पर–लोक अदालत आयोजित करने वाला जिला प्राधिकरण का सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे :

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य ;और
(ii) ऊपर उपपैरा (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्र के विधिक सदृश क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति अधिमानतः कोई स्त्री ।

(घ) तालुक स्तर पर–लोक अदालत आयोजित करने वाला तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे :

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य ;और
(ii) ऊपर उपपैरा (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्र के विधिक सदृश क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति अधिमानतः कोई स्त्री ।

7. लोक अदालतों का मामलों का आबंटन—(1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ को विनिर्दिष्ट मामले समनुदेशित करेंगे ।

(2) यथास्थिति सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ के लिए एक मामला सूची तैयार कर सकेगा और लोक अदालत आयोजित करने की तारीख के कम से कम दो दिन पूर्व सभी संबद्ध व्यक्तियों को सूचित करेंगे ।

(3) लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक मामले में किसी प्रकार के उत्पीड़न, धमकी, असम्यक् प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के बिना सुलह समझौता कराने के गंभीर प्रयास करेगी ।

8. लोक अदालतों का आयोजन—लोक अदालतें ऐसे समय और स्थान तथा ऐसी तारीख को जिसके अंतर्गत छुट्‌टी का दिन भी है, जिसे लोक अदालत आयोजित करने वाला यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति उचित समझे, आयोजित की जा सकेगी ।

9. लोक अदालतों की अधिकारिता—लोक अदालतों को केवल पक्षकारों के बीच किसी विवाद का समझौता या परिनिर्धारण करने के लिए पक्षकारों की सहायता करने की शक्ति होगी और ऐसा करते समय पक्षकारों के बीच ऐसे विवादों की बाबत् वे कोई निदेश या आदेश जारी नहीं करेंगी ।

10. लंबित मामलों के निर्देश—(1) लोक अदालत के पास लंबित मामले पर कार्रवाई करने की तभी अधिकारिता होगी जब सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय आदेश करता है कि मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 89 या अधिनियम की धारा 20 में विहित रीति के अनुसार निर्दिष्ट किया जाए ।

(2) लोक अदालत को लंबित मामलों के तंत्र संबंधी निर्देश करने से बचा जाएगा और निर्देश करने वाला न्यायालय प्रथम दृष्ट्या अपना यह समाधान करेगा कि लोक अदालत के माध्यम से मामले के निपटारा होने का अवसर है और लोक अदालत में निर्दिष्ट किए जाने के लिए यह मामला समुचित है :

परंतु विवाह—विच्छेद और आपराधिक मामलों से संबंधित ऐसे विषय, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन शमनीय नहीं है, लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किए जाएंगे ।

(3) उस लंबित मामले में जहां पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार ने न्यायालय को लोक अदालत में मामले को निर्दिष्ट करने के लिए आवेदन किया था या न्यायालय का स्वप्रेरणा से यह समाधान हो जाता है कि लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए

मामला समुचित है, तो मामले को पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् के सिवाय लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा ।

11. अभिलेखों को समन करना और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व–(1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण का सचिव, सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष उन लंबित मामलों के न्यायिक अभिलेख, जिन्हें अधिनियम की धारा 20 के अधीन संबद्ध न्यायालयों से लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है, मंगा सकेंगे ।

(2) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण का सचिव, या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी न्यायालय से प्राप्त होने वाले अभिलेखों की उन्हें न्यायालय को वापस किए जाने तक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) न्यायिक अभिलेख लोक अदालत द्वारा समाप्त की गई कार्यवाही के दस दिन के भीतर कार्यवाहियों के परिणाम के बारे में पृष्ठांकन सहित वापस कर दिए जाएंगे चाहे लोक अदालत द्वारा मामले का निपटारा किया गया हो या नहीं :

परंतु जहां कहीं समुचित हो, वह संबद्ध न्यायालय, जहां से अभिलेख मंगाए गए थे, दस दिन से परे की अवधि के लिए अभिलेखों को प्रतिधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(4) प्रत्येक न्यायिक प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वह न्यायिक अभिलेखों के पारेषण में सहयोग करे ।

12. मुकदमा–पूर्व मामला–(1) मुकदमा–पूर्व मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि उस न्यायालय, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की गई है, को मामले को न्यायनिर्णीत करने की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता है ।

(2) लोक अदालत को मुकदमा–पूर्व मामले को निर्दिष्ट करने से पूर्व यथास्थिति, संबद्ध प्राधिकरण या समिति संबद्ध पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देगी ।

परंतु प्रत्येक पक्षकार का बयान लोक अदालत के समक्ष इसे रखे जाने के लिए, यथास्थिति संबद्ध प्राधिकरण या समिति द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(2) पक्षकारों के बीच समझौता आधारित किसी पंचाट को केवल अधिनियम की धारा 20 में विहित प्रक्रिया के उल्लंघन पर संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका फाइल करके चुनौती दी जा सकती है ।

13. लोक अदालतों में प्रक्रिया–(1) लोक अदालत के सदस्यों की भूमिका केवल कानूनी सुलहकर्ता की है और उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं है और वे, यथावश्यक परिवर्तन

सहित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 67 से 79 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन कर सकेंगे ।

(2) लोक अदालत के सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः मामलों या विषयों का समझौता या परिनिर्धारण करने के लिए किसी भी पक्षकार पर दबाव नहीं डालेंगे या जबरदस्ती नहीं करेंगे ।

(3) लोक अदालत के सदस्य उचित परिनिर्धारण या समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षकारों के साथ विषयवस्तु पर चर्चा करेंगे और लोक अदालत के ऐसे सदस्य पक्षकारों की उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण परिनिर्धारण पर पहुंचने के उनके प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से सहायता करेंगे :

परंतु यदि स्वतंत्र व्यक्ति या प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है तो लोक अदालत उसे भी प्राप्त कर सकेगी ।

(4) लोक अदालत के सदस्य, अन्य बातों के साथ–साथ, पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं, विवाद की प्रतिवेशी रूढ़ियों और रीति रिवाजों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय, साम्या, निष्पक्षता, विषयनिष्ठता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे ।

(5) लोक अदालत ऐसी रीति से कार्यवाहियां कर सकेंगी जैसा यह मामले की परिस्थितियों, किसी पक्षकार द्वारा लोक अदालत से मौखिक कथन सुनने के किसी अनुरोध और विवाद के शीघ्र परिनिर्धारण की आवश्यकता सहित पक्षकारों की इच्छाओं पर विचार करते हुए उचित समझे ।

(6) लोक अदालत अपनी निजी इच्छा से किसी निर्देश का अवधारण नहीं करेगी बल्कि पक्षकारों के बीच समझौते या परिनिर्धारण के आधार पर ही समझौता या परिनिर्धारण के निबंधनानुसार अधिनिर्णय करके अवधारण करेगी;

परंतु किसी लोक अदालत को नियमित न्यायालय के रूप में उनके विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए पक्षकारों की सुनवाई करने की शक्ति नहीं है :

परंतु यह और कि लोक अदालत का अधिनिर्णय न तो अधिमत है और न ही किसी विनिश्चय करने वाली प्रक्रिया द्वारा विचारित राय है ।

14. प्रशासनिक सहायता–लोक अदालत कार्यवाहियों को सुकर बनाने के लिए प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था विधिक सेवा उपलब्ध कराने में लगी उपयुक्त संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा की जा सकेगी ।

15. समझौता या परिनिर्धारण की विरचना–लोक अदालत, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर विवाद के निर्धारण के लिए प्रस्ताव कर सकेगी और यह आवश्यक नहीं कि ऐसा प्रस्ताव उसके लिए कारणों के कथन से युक्त हो ।

16. लोक अदालत और पक्षकारों के बीच संसूचना–(1) लोक अदालत पक्षकारों को उससे मिलने के लिए आमंत्रित कर सकेगी या उसे मौखिक या लिखित रूप में संसूचित कर सकेगी और वह पक्षकारों के साथ एक साथ या उनसे पृथक–पृथक मिल सकेगी या संसूचित कर सकेगी । किसी पक्षकार से प्राप्त विवाद से संबंधित तथ्यात्मक सूचना इसलिए अन्य पक्षकार को प्रकट की जा सकेगी कि यदि अन्य पक्षकार को कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके :

परंतु लोक अदालत कोई सूचना प्रकट नहीं करेगी यदि एक पक्षकार इसे गोपनीय रखना चाहता है ।

(2) प्रत्येक पक्षकार अपनी निजी पहल या लोक अदालत के आमंत्रण पर विवाद के परिनिर्धारण के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) जब लोक अदालत को यह प्रतीत होता है कि परिनिर्धारण के लक्षण विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेंगे तो संभव परिनिर्धारण के निबंधन लोक अदालत द्वारा विरचित किए जाएंगे और उनके विचारों और परिवर्तन, यदि कोई हो, के लिए पक्षकारों को दिए जाएंगे और पक्षकारों द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जा सकेगा तथा संभव परिनिर्धारण के निबंधनों को लोक अदालत द्वारा पुनः विरचित किया जा सकेगा ।

(4) यदि पक्षकार विवाद के समझौते या परिनिर्धारण पर पहुंचते हैं तो लोक अदालत रूपरेखा तैयार कर सकेगा या ऐसे समझौतों या परिनिर्धारण के निबंधनों की रूपरेखा तैयार करने में पक्षकारों की सहायता कर सकेगा ।

17. अधिनिर्णय–(1) अधिनिर्णय की रूपरेखा तैयार करना लोक अदालत के मार्गदर्शन और सहायता के अधीन पक्षकारों द्वारा सहमत परिनिर्धारण या समझौता के निबंधन सम्मिलित करते हुए मात्र एक प्रशासनिक कार्य है ।

(2) जब दोनों पक्षकार हस्ताक्षर करते हैं या अपना अंगूठा निशान लगाते हैं और लोक अदालत के सदस्य इस पर अधोहस्ताक्षर करते हैं तो यह अधिनिर्णय हो जाता है। (परिशिष्ट–1 पर नमूना देखिए) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय स्पष्ट और सरल होगा और स्थानीय न्यायालयों में प्रयुक्त प्रादेशिक भाषा या अंग्रेजी में होंगे । इसमें मामले की विशिष्टियां अर्थात् मामला संख्या, न्यायालय का नाम, पक्षकारों के नाम, प्राप्ति की तारीख, स्थायी रजिस्टर (विनियम 20 के अधीन यथाउपबंधित बनाए रखे गए) में मामले की रजिस्टर संख्या और परिनिर्धारण की तारीख भी अंतर्विष्ट होगी। जहां कहीं पक्षकारों का

प्रतिनिधित्व काउंसेल द्वारा किया जाता है वहां उनसे भी लोक अदालत के सदस्यों के समक्ष परिनिर्धारण या अधिनिर्णय पर अपने हस्ताक्षर करने की अपेक्षा होनी चाहिए ।

(3) न्यायालय से लोक अदालत को निर्दिष्ट मामलों के अधिनिर्णय में यह उल्लिखित होगा कि वादी या याची दी गई न्यायालय फीस के प्रतिदाय का हकदार है।

(4) जहां पक्षकारों के साथ काउंसेल नहीं है या काउंसेल द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, वहां लोक अदालत के सदस्य परिनिर्धारण अभिलिखित करने के पूर्व पक्षकारों की पहचान का भी सत्यापन करेंगे ।

(5) लोक अदालत के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि पक्षकार निश्चित और अभिलिखित किए गए परिनिर्धारण के निबंधनों को पूरी तरह से समझने के पश्चात् ही अपने हस्ताक्षर करें। लोक अदालत के सदस्य अपने हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित के बारे में भी स्वयं का समाधान करेंगे :

(क) यह कि परिनिर्धारण के निबंधन अयुक्तियुक्त या अवैध या एकतरफा नहीं है ;और

(ख) यह कि पक्षकारों ने स्वेच्छया न कि किसी धमकी, प्रपीड़न या असम्यक असर के कारण परिनिर्धारण किया है ।

(6) लोक अदालत के सदस्यों को अपने समक्ष निकाले गए परिनिर्धारण में ही अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का उपयोग बेईमान पक्षकारों द्वारा कपट, कूटरचना, आदि करने के लिए न किया जाए, किसी तीसरे पक्षकार की सहायता से लोक अदालत के बाहर पक्षकारों द्वारा निकाले गए परिनिर्धारण पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए ।

(7) लोक अदालत कोई जमानत या पारस्परिक सहमति द्वारा द्वारा विवाह–विच्छेद मंजूर नहीं करेगी ।

(8) मूल अधिनिर्णय न्यायिक अभिलेख (मुकदमेबाजी पूर्व मामले में मूल अधिनिर्णय विधिक सेवा प्राधिकरण या संबद्ध समिति के पास रखा जा सकेगा) का भाग गठित करेगा और अधिनिर्णय की एक प्रति यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्षकार को सम्यक् रूप से उनका सही होना प्रमाणित करते हुए निःशुल्क दी जाएगी और संबद्ध प्राधिकरण या समिति की शासकीय मुद्रा सभी अधिनिर्णयों पर लगी होगी ।

18. गोपनीयता–(1) लोक अदालत के सदस्य और पक्षकार लोक अदालत में कार्यवाहियों से संबंधित सभी विषयों को गोपनीय रखेंगे और लोक अदालत के सदस्यों को उसके

सिवाय, जहां अधिनिर्णय के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक न हों, किसी न्यायालय के समक्ष लोक अदालत कार्यवाहियों में ऐसे विषयों को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा ।

(2) लोक अदालत के सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्ताव और विवाद के संभव परिनिर्धारण की बाबत लोक अदालत में कार्यवाहियों के दौरान पक्षकारों द्वारा व्यक्त मत और की गई चर्चाओं या किसी पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति या लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही के अनुक्रम में पक्षकारों के आचरण को अन्य न्यायालय या मध्यस्थ कार्यवाहियों में साक्ष्य में नहीं लाया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) लोक अदालत के सदस्य किसी अन्य कार्यवाही में ऐसी रीति में किसी पक्षकार के कथन अभिलिखित नहीं करेंगे या पक्षकारों के किसी आचरण या कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे जो न्यायालय या मध्यस्थ के समक्ष ऐसे पक्षकार के प्रतिकूल हो ।

(4) यदि लोक अदालत का कोई सदस्य किसी गोपनीयता या नैतिक विषयों का अतिक्रमण करता है जो किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही के सदृश है तो ऐसा सदस्य लोक अदालत के सदस्यों के पैनल से हटाया जाएगा ।

19. लोक अदालत कार्यवाहियों की असफलता–यदि मुकद्मा–पूर्व मामले का निपटान लोक अदालत में नहीं होता है तो पक्षकारों को अन्य आनुकल्पिक विवाद समाधान तकनीकों का अवलंब लेने या न्यायालय में जाने की सलाह दी जा सकेगी और उचित मामलों में उन्हें विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में भी सलाह दी जा सकेगी ।

20. परिणामों का संकलन–लोक अदालत के सत्र की समाप्ति पर यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी, परिशिष्ट–2 में दिए गए प्रोफार्मा में राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की उपलब्धता के बारे में भी सलाह दी जा सकेगी ।

21. लोक अदालत के सदस्यों के नामों का पैनल बनाए रखना–यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों में काम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का पैनल बनाए रखेगा ।

22. अधिनियम की धारा 20 के अधीन निर्दिष्ट मामलों के अभिलेख या अन्यथा बनाए रखने की प्रक्रिया–(1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी, एक स्थायी रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें लोक अदालत के निर्देश के माध्यम से

उसे प्राप्त सभी मामले या मुकद्मे पूर्व विषयों की प्रविष्टि निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए की जाएंगी :

(i) प्राप्ति की तारीख ;
(ii) मामले या मुकद्मा–पूर्व विषय की प्रकृति ;
(iii) अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों ;
(iv) समझौता या परिनिर्धारण की तारीख और ऐसी रीति जिसमें मामले या विषय का अंतिम रूप से निपटान किया गया था ; और
(v) मामले की फाइल की वापसी की तारीख ।

(2) अधिनिर्णय की प्रति, यदि पारित किया गया है, विनियम 17 में कथित रीति में सम्यक रूप से प्रमाणित, स्थायी अभिलेख के रूप में यथास्थिति प्राधिकरण या समिति के कार्यालय में रखी जाएगी ।

(3) मुकद्मा–पूर्व लोक अदालतों के अधिनिर्णयों के मूल के अलावा अभिलेखों को लोक अदालत द्वारा मामले के निपटान की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् नष्ट किए जा सकेंगे ।

23. अधिवक्ताओं की उपस्थिति और लोक अदालतों के समक्ष मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया–लोक अदालतों में पक्षकारों की ओर से अधिवक्ताओं की उपस्थिति को वर्जित नहीं किया जाएगा और पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के प्रयास को प्रोत्साहित किया जाएगा । अधिवक्ताओं को लोक अदालत के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान अपनी पोशाक और बैंड पहनने से बचने की सलाह दी जा सकेगी ।

24. विनियमों का लागू होना–उपरोक्त विनियम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों को समुचित परिवर्तनों सहित उसी रीति में लागू होंगे ।

यू. शरत चन्द्रन,

सदस्य–सचिव

परिशिष्ट–1

लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम ....

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन .... प्राधिकरण / .... समिति द्वारा आयोजित)

याची / वादी / परिवादी :

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी :

.... न्यायालय / प्राधिकरण / समिति की कार्यवाही संख्या :

उपस्थिति :–

न्यायिक अधिकारी / सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम :

सदस्यों का नाम : (1)

(2)

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :

....

....

....

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी ।

याची/वादी/परिवादी   प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

न्यायिक अधिकारी   सदस्य   सदस्य

तारीख :

(प्राधिकरण/समिति की मुद्रा)

परिशिष्ट–2

प्रोफार्मा

लोक अदालत में मामलों का निपटान

<table>
<tr><td colspan="3">स्थान :</td><td colspan="3">तारीख :</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">निपटाए गए मामले की प्रकृति</td></tr>
<tr><td>क्रम सं0</td><td>मामला
संख्या</td><td>पक्षकारों के
नाम</td><td>सिविल</td><td>दावे</td><td>आपराधिक</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2009

No. L/28/09-NALSA, -- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Authority hereby makes the following regulations, namely:-

1. Sort title and commencement. - (1) These regulations may be called the National Legal Services Authority (Lok Adalats) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions – In these regulations, unless the context otherwise requires, --

(a) 'Act' means the Legal Services Authorities Act, 1987, (39 of 1987),

(b) 'Lok Adalats' means Lok Adalats to be organized under section 19 of the Act.

(c) All other words and expressions used but not defined in these regulations and defined in the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 to 1987) or the National Legal Services Authority Rules, 1995 shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act or rules.

3. Procedure for organizing Lok Adalats – (*1*) Lok Adalts may be organized by the State Authorities of District Authorities or Supreme Court Legel Series Committee or High Court Legal Services Committee or, as the case may be, the Taluk Legal Services Committee at regular intervals and such Lok Adalats shal be organized for a definite geographical area as the aforesaid Authorities or Committees think fit :,

Provided that, special Lok Adalats shall be organised for all family courts at regular intervals.

(2) The member-secretary or secretary of the High Court Legal Services Committee or District Authority or as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee many associate the members of the legal profession, college students, social organizations, charitable and philanthropic institutions and other similar organizations for organizing the Lok Adalats.

4. Intimation to the State Authority – The Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Authority or Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall inform the State Authority about the proposal to organize the Lok Adalat, well before the date on which the Lok Adalat, well before the date on which the Lok Adalat is proposed to be organized, and furnish the following information to the State Authority, namely :-

(i) the place and the date on which the Lok Adalat is proposed to be organized ;

(ii) whether any of the organizations as referred to in sub-regulation (2) of regulations 3 above have agreed to associate themselves whth Lok Adalat,

(iii) categories and nature of cases, viz. pending cases or pre-litigation disputes, proposed to be placed before the Lok Adalat.

(iv) Number of cases proposed to be brought before the Lok Adalat in each category ;

(v) Any other information relevant to the convening and organising of the Lok Adalat.

5. Notice to parties concerned. – The Member-Secretary or Secretary of the High Court Legel Services Committee of District Authority or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee convening and organizing the Lok Adalat shall inform every party concerned whose case is referred to the Adalat, well in time so as to afford him an opportunity to prepare himself for eh Lok Adalat:

Provided that such notice may be dispensed with, if the court while referring the case to the Lok Adalat fixes or informs the date and time of the Lok Adalat in the presence of the parties or their advocates :

Provided further that if a party is not willing to refer their case to Lock Adalat, the case may be considered on its merits by the court concerned.

6. Composition of Lok Adalat.-

(a) At State Authority Level. – The Member Secretary Organising the Lok Adalat shall constitute benches of the Lok Adalat, each bench comprising of a sitting or retired Judge of the High Court or a serving or retired judicial officer and any one or both of the following :

(i) a member from the legal profession ; and

(ii) a social worker of repute who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, women, children, rural and urban labour and interested in the implementation of legal services schemes or programmes.

(b) At High Court Level – The Secretary of the High Court Legal Services Committee organizing the Lok Adalat shall constitute benches of the Lok Adalat, each bench comprising of a sitting or retired Judge of the High Court or a serving or retired judicial officer and any one or both of the following :

(i) a member from the legal profession ;

(ii) a social worker belonging to the category as mentioned in item (ii) of sub-para (a) above.

(c) At District Level – The Secretary of the District Authority Organising the Lok Adalats shall constitute benches of the Lok Adalats, each bench comprising of a sitting or retired judicial officer and any one or both of the following :

(i) a member from the legal profession :

(ii) a social worker belonging to the category as mentioned in item (ii) of sub para (a) above or a person engaged in para-legal activities of the area, preferably a woman.

7. Allotment of cases to Lok Adalats – (1) The member secretary, the secretary of the High Court Legal Services Committee, the District Authority or Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall assign specific cases to each bench of the Lok Adalat.

(2) The member secretary, the secretary of the High Court Legal Services Committed or the District Authority of Chairman of the Taluk Legal Services Committed, as the case may be, may prepare a cause list for each bench of the Lok Adalat and intimate the same to all concerned at least two days before the date of holding of the Lok Adalat.

(3) Every bench of the Lok Adalat shall make sincere efforts to bring about a conciliated settlement in the every case put befoe it without bringing about any kind of coercion, threat, undue influence, allurement or misrepresentation.

8. Holding of Lok Adalats - Lok Adalats may be organized at such time and place and on such days, including holidays as the state authority, the high Court Legal Services Committed, the District Authority or the Taluk Legal Services Committee, as the case may be organizing the Lok Adalat deems appropriate.

9. Jurisdiction of Lok Adalats - Lok Adalats shall have the power only to help the parties to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute and, whole so doing, it shall not issue any direction or order in respect of such dispute between the parties.

10. Reference of cases and matters – (1) Lok Adalat shall get jurisdiction to deal with a case only when a court of competent jurisdiction orders the case to be referred in the manner prescribed in section 20 of the Act or under section 89 of the Code of the Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)

(2) A mechanical reference of pending cases to Lok Adalat shall be avoided and the referring court shall, prima facie satisfy itself that there are chances of settlement of the case through Lok Adalat and the case is appropriate to be referred to Lok Adalat.

Provided that matters relating to divorce and criminal cases which are not compoundable under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall not be referred to Lok Adalat.

(3) In a pending case where only one of the parties had made application to the court for referring the case to Lok Adalat, or where the court *suo motu* is satisfied that the case is appropriate to take cognizance by Lok Adalat, the case shall not be referred to the Lok Adalat except after giving a reasonable opportunity of being heard to the partes.

11. Summoning of records and responsibility for its safe custody – (1) The member Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services Committed, the District Authority or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committed may call for the judicial records of pending cases which are referred to the Lok Adalat under section 20 of the Act from the courts concerned.

(2) The officer duly authorized by he Member Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services Committee, the District Authority of the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall be responsible for the safe custody of records from receiving of the same from court till they are returned.

(3) The judicial records shall be returned within ten days of the Lok Adalat irrespective of whether or not the case is settled by the Lok Adalat with an endorsement about the result of proceedings :

Provided that wherever it is appropriate, the court concerned from where the records are called may permit the records to be retained beyond the period of ten days.

(4) Every judicial authority is expected to co-operate in transmission of the judicial records.

12. Pre-litigation matters – (1) In a pre-litigation matter it may be ensured that the court for which a Lok Adalat is organized has territorial jurisdiction to adjudicate in the matter.

(2) Before referring a pre-litigation matter to Lok Adalat the Authority concerned or Committed, as the case may be shall give a reasonable hearing to the parties concerned.

Provided that wherever it is appropriate, the court concerned from where the records are called may permit the records to be retained beyond the period of ten days.

(3) An award based on settlement between the parties can be challenged only on violation of procedure prescribed in section 20 of the Act by filling a petition under articles 226 and 227 of the Constitution of India.

13. Procedure in Lok Adalats – (1) Members of Lok Adalat have the role of statutory conciliators only and have no judicial role and they, *mutatis mutandis*, may follow the procedure laid down in sections 67 to 76 of the Arbitration and conciliation Act, 1996 (26 of 1996)

(2) Members of Lok Adalat shall not pressurize of coerce any of the parties, to compromise or settle cases or matters, either directly or indirectly.

(3) In a Lok Adalat the members shall discuss the subject matter with the parties for arriving at a just settlement or compromise and such members of Lok Adalat shall assist the parties in an independent and impartial manner in their attempt to reach amicable settlement of their dispute.

Provided that if it found necessary the assistance of an independent person or a trained mediator may also be availed by the Lok Adalat.

(4) Members of Lok Adalat shall be guided by principles of natural justice, equity, fairplay, objectivity giving consideration to, among other thins, the rights and obligations of the parties, custom and usages and the circumstances surrounding the dispute.

(5) The Lok Adalat may conduct the proceedings in such a manner as it considers appropriate taking into account the circumstances of the case, wishes of the parties including any request by a party to the lok Adalat to hear oral statements, and the need for a speedy

(6) the Lok Adalat shall not determine, a reference, at its own instance, but shall determine only on the basis of a compromise or settlement between the parties by making an award in terms of the compromise or settlement between the parties by making an award in terms of the compromise or settlement arrived at;

Provided that no Lok Adalat has the power to hear the parties to adjudicate their dispute as a regular court;

Provided further that the award of the Lok Adalat is neither a verdict nor an opinion arrived at by any decision making process.

14. Administrative assistance.- Administrative assistance for facilitating Lok Adalat proceedings may be arranged by suitable institutions or persons engaged in providing legal services.

15. Formulating compromiser settlements.—The Lok Adalat may, at any stage of the proceedings, make proposal for a settlement of the dispute and such proposal need not be accompanied by a statement of the reasons therefore.

16. Communication between Lok Adalat and parties. - (1) A Lok Adalat may invite the parties to meet it or may communicate with it orally or in writing and it may meet or communicate with the parties together or with each of them separately. The factual information concerning the dispute received from a party may be disclosed to the other party in order that the other party may have the opportunity to present any explanation.

Provided that the Lok Adalat shall not disclose any information, if one of the party desires to keep it confidential.

(2) Each party may on its own initiative or at the invitation of the Lok Adalat, submit suggestions for settlement of the dispute.

(3) When it appears to the Lok Adalat that there exists elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the terms of a possible settlement may be formulated by the Lok Adalat and given to the parties for their observations and modifications, if any, suggested by the parties can be taken into consideration and terms of a possible settlement may be re-formulated by the Lok Adalat,

(4) If the parties reach a compromise or settlement of the dispute, the Lok Adalat may draw up or assist the parties in drawing up the terms of such compromise or settlement.

17. Award. – (1) Drawing up of the award is merely an administrative act by incorporating the tems of settlement or compromise agreed by the parties under the guidance and assistance from Lok Adalat

(2) When both parties sign or affix their thumb impression and the members of the Lok Adalat countersign it, it becomes an award. (see a specimen at Appendix-I) Every award of the Lok Adalat shall be categorical and lucid and shall be written in regional language used in the local courts or in English. It shall also contain particulars of the case, viz, case number, name of court and names of parties, date of receipt, register number assigned to the case in the permanent register (maintained as provided under regulation 20) and date of settlement. Wherever the parties are represented by counsel, they should also be required to sign the settlement or award before the members of the Lok Adalat affix their signature.

(3) In cases referred to Lok Adalat from a court, it shall be mentioned in the award that the plaintiff or petitioner is entitled to refund of the court fees remitted.

(4) Where the parties are not accompanied or represented by counsel, the members of the Lok Adalat shall also verify the identify of parties, before recording the settlement.

(5) Member of the Lok Adalat shall ensure that the parties affix their signatures only after fully understanding the terms of settlement arrived at and recorded. The members of the Lok Adalat shall also satisfy themselves about the following before affixing their signatures:

(a) that the terms of settlement are not unreasonable or illegal or one – sided ; and

(b) that the parties have entered into the settlement voluntarily and not on account of any threat, coercion or undue influence.

(6) Members of the Lok Adalat should affix their signatures only in settlement reached before them and should avoid affixing signatures to settlement reached by the parties outside the Lok Adalat with the assistance of some third parties, to ensure that the Lok Adalats are not used by unscrupulous parties to commit fraud, forgery etc.

(7) Lok Adalat shall not grant any bail or a divorce by mutual consent.

(8) The original award shall form part of the judicial records (in pre-litigation matter, the original award may be dept with the Legal Services Authority or Committee, concerned) and a copy of the award shall be given to each of the parties duly certifying them to be true by the officer designated by the Member-Secretary of Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Legal Services Authority or, as the case may be, the Chairman of Taluk Legal Services Committees free of cost and the official seal of the Authority concerned or Committee shall be affixed on all awards.

18. Confidentiality. – (1) The members of the Lok Adalat and the parties shall keep confidential all matters relating to the proceedings in the Lok Adalat and the members of the Lok Adalat shall not be compelled to disclose the matters which took place in the Lok Adalat proceedings before any court of law, except where such disclosure is necessary for purposes of implementation and enforcement of the award.

(2) The views expressed and discussions made by parties during the proceedings of Lok Adalat in respect of the possible settlement of a dispute and the proposals made by the members of Lok Adalat of admission made by any party or the conduct of the parties in the course of the receding before Lok Adalat shall not be brought in evidence or made use of in other court or bitral proceedings.

(3) Members of the Lok Adalat shall not record the statement of any of the parties or record any conduct of the parties or express any opinion in such a manner as it would prejudice such party any other proceedings before a court or arbitrator.

(4) If any member of the Lok Adalat violates the confidentiality and the ethical concerns which are akin to any other judicial proceedings, such member shall be removed from the panel of members of Lok Adalat.

19. Failure of Lok Adalat proceeding. – If a pre-litigation matter is not settled in the Lok Adalat the parties may be advised to resort to other Alternative dispute resolution (ADR) techniques or the approach a court of law and in appropriate cases they may be advised about the availability of legal aid.

20. Compilation of results. – At the conclusion of session of the Lok Adalat, the officer designated by the Member Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services Committee. The District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee as case may be, shall compile the results for submission to the state Authority in the proforma given in Appendix-II.

21. Maintenance of panel of names of Lok Adalat members. – The member secretary of secretary of the High Court Legal Services Committee of District Authority or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee shall maintain a panel of names of retired judicial officers, advocates and social workers to work in Lok Adalats.

22. Procedure for maintaining record of cases referred under section 20 of the Act. or otherwise. (1) The officer designated by the Member Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services committed, the District Authority or the Chairman of the Taluk Legel Services Committee as the case may be, shall maintain a permanent register wherin all the cases and pre-litigation matters received by him by way of reference to the Lok Adalat shall be entered giving particulars of :

- **(i)** date of receipt;
- **(ii)** nature of the case or pre-litigation matter;
- **(iii)** other particulars, if any;
- **(iv)** date of compromise or settlement and the manner in which the case or matter was finally disposed of; and
- **(v)** date of return of the case file.

(2) A copy of the award, if passed, duly certified in the manner state in regulation 17 shall be kept in the office of the Authority or Committee, as the case may be, as a permanent record.

(3) Records other than the original of the awards of pre-litigation Lok Adalat may be destroyed after a period of three years from the date of disposal of the matter by Lok Adalat.

23. Appearance of lawyers and the procedure to be followed in the cases before Lok Adalats. – The appearance of lawyers on behalf of the parties at the Lok Adalat shall not be barred and an effort shall be made to encourage the parties to be present personally. The lawyers may be advised to avoid wearing their robes and bands during the proceedings before the Lok Adalat.

24. Application of regulations. – The above regulations shall be applicable in the same manner with appropriate changes to the s irgabused by he National Legal Services Authority and the Supreme Court Legal Services Committee.

U. SARATH CHANDRAN, Member Secy.

[ADVT-III/4/123/09-Exty]

Appendix - 1

BEFORE THE LOK ADATAL

HELD AT _____________

[Organized by _____________ Authority/_____________ Committee under Section 19, of the Legal Services Authorities, Act, 1987 (Central Act)

Petitioner / Plaintiff / Complainant:

Defendant / Respondent :

No. of proceedings of the ________________ Court / Authority / Committee

Present :-

Name of Judicial Officer / :

Retired Judicial Officer

Name of Members : (1)

(2)

AWARD

The dispute between the parties having been referred for determination to the Lok Adalat and the parties having compromised / settled the case / matter, the following award is passed in terms of the settlement:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………....

The parties are informed that the court fee, if any, paid by any of them shall be refunded.

Petitioner/Plaintiff/Complainant Defendant/Respondent

Judicial Office Member Member

Date :

(Seal of the Authority / Committee)

Appendix – II

PROFORMA

DISPOSAL OF CASES IN LOK ADALAT

Case :			Date		
			Nature of Cases disposed of		
S.No.	Case No.	Name of parties	Civil	Claims	Criminal
Total					